तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस की तामील में जा
18/6/18	वकील प्रार्थी उप०। वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि भूमि ख०न०/385/2 रकबा 0.17 है. तन ग्राम नीमकाथाना का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी कि खातेदारी भूमि को खुर्द बुर्द करने का अप्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनु० रहे है। ना ही अप्रार्थीगण ने कोई जवाब पेश किया है। प्रार्थी उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थी को भी यह निर्देश दिया जाना उचित समझता हूँ कि अपनी भूमि का नियमानुसार सीमाज्ञान करावे। एवं अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाना उचित समझता हूँ। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी कि खातेदारी भूमि ख०न० 1385/2 रकबा 0.17 है. तन ग्राम नीमकाथाना में कोई सडक निर्माण का कार्य नही करें एवं अपनी रास्ते की भूमि मे ही सडक निर्माण का कार्य करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। (जगदीश प्रसाद गौड) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना	